



This is a digitally signed Gazette, to verify click here.

<http://rajpatrahimachal.nic.in>

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शनिवार, 16 जुलाई, 2016 / 25 आषाढ़ 1938

हिमाचल प्रदेश सरकार

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला-2, 14 जुलाई 2016

संख्या: गृह-बी-बी(2)4 / 2004-III लूज.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, इस विभाग की अधिसूचना संख्या संख्या: गृह-बी-बी(2)4 / 2004-III लूज तारीख 14 जून, 2016 के क्रम में और हिमाचल प्रदेश न्यायिक अधिकारी (वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 2003 (2003 का अधिनियम संख्यांक 10) की धारा 4 की उपधारा (1) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 233, 234 और अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा

प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस निमित्त उन्हें सशक्त बनाने के लिए समस्त अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम.—इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा (द्वितीय संशोधन) नियम, 2016 है।

2. नियम 3 का संशोधन.—हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा नियम, 2004 (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् “उक्त नियम” कहा गया है) के नियम 3 के उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रख जाएगा, अर्थात्:—

“(3) इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख से नीचे स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट विद्यमान संवर्ग, निम्न स्तम्भ (1) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट संवर्ग के रूप में अभिहित होंगे और यह तदनुसार सेवा का गठन करेंगे:—

(1)	(2)
(क) जिला न्यायाधीश/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	(i) जिला एवं सत्र न्यायाधीश (ii) अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश
(ख) सीनियर सिविल न्यायाधीश	(i) वरिष्ठ उप न्यायाधीश एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ii) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
(ग) सिविल न्यायाधीश	(i) उप-न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट।”।

3. नियम 5 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 5 में, सारणी के अन्त में निम्नलिखित उपबंध अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण.—

अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों एवं सिविल न्यायाधीशों के प्रवर्गों के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण:—

आरक्षण निम्न अभ्यर्थियों को प्रदान किया जाएगा:—

(क) कम दृष्टि के अन्धेपन से ग्रस्त किन्तु निःशक्तता 75% और उससे अधिक न हो,

(ख) श्रवण क्षीणता से ग्रस्त किन्तु ऐसी क्षीणता, श्रवण-सहाय/शल्य सुधार के पश्चात् 60 डेसीबल या उससे अधिक न हो

(ग) चलने-फिरने की निःशक्तता से ग्रस्त

(टिप्पण:— कार्यात्मक प्रबल हाथ वाले व्यक्तियों को भी विचारा जा सकता है) :

परन्तु अभ्यर्थी को,—

(i) किसी प्रकार की मानसिक मन्दता अन्तर्ग्रस्तता की मात्रा और गंभीर मानसिक रोग जैसे खण्डित मनस्कता या विकार ग्रस्त और चिरकालिक मनोविक्षिप्ति नहीं होनी चाहिए,

- (ii) किसी प्रकार के तन्त्रिकीय अपसामान्यता के विकार जो उच्चतर मानसिक कृत्य/बोध और सार्थक वाणी दोष वाला नहीं होना चाहिए:

परन्तु यह और कि कर्मचारियों के समस्त प्रवर्गों के लिए तैयार की गई चयन सूची तब तक विधिमान्य होगी जब तक आगामी चयन सूची प्रकाशित नहीं हो जाती है।”।

4. नियम 5 के अधीन सारणी का प्रतिस्थापन.—उक्त नियमों के नियम 5 में विद्यमान सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी रखी जाएगी, अर्थात्:—

क्रम संख्या	संवर्ग	भर्ती की पद्धति	अर्हता, आयु सीमा और अनुभव आदि
1.	जिला न्यायाधीश/अतिरिक्त जिला न्यायाधीश	(क) पैसठ प्रतिशत, सिनियर सिविल न्यायाधीशों में से गुणागुण (मैरिट) एवं वरिष्ठता के सिद्धान्त के आधार पर और उपयुक्तता टैस्ट जैसा विनियमों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विहित एवं संचालित किया जाए, उत्तीर्ण करने पर, प्रोन्नति द्वारा	
		(ख) दस प्रतिशत, सिनियर सिविल न्यायाधीशों में से गुणागुण (मैरिट) के आधार पर सीमित प्रतियोगी परीक्षा, जैसी कि विनियमों में अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विहित और संचालित की जाए, के माध्यम से, प्रोन्नति द्वारा यदि पद (पदों) को इस पद्धति के अधीन उपयुक्त अभ्यर्थियों की अप्राप्यता के कारण नहीं भरा जा सके, तो उसे (उन्हें) पद्धति (क) के अधीन नियमित प्रोन्नति द्वारा भरा जाएगा।	सिनियर सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में कम से कम पांच वर्ष की सेवा।
		(ग) पच्चीस प्रतिशत, पात्र अधिवक्ताओं में से लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा, (वाइवा-वोसि) जैसी कि विनियमों के अनुसार उच्च न्यायालय द्वारा विहित और संचालित की जाए, के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा	अर्हताओं, आयु सीमा और अनुभव, आदि सहित पात्रता मापदण्ड निम्नलिखित होंगे:— (i) भारत का नागरिक हो, (ii) भारतीय विधि परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विधि में उपाधि धारक हो, (iii) आवेदनों की प्राप्ति हेतु नियत अंतिम तारीख को बार में अधिवक्ता

			के रूप में विधि व्यवसाय की कम से कम सात वर्ष की अवधि हो। (iv) आवेदन की प्राप्ति के लिए विहित अंतिम तारीख को 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 45 वर्ष की आयु प्राप्त न की हो। टिप्पण.—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए उस अवधि, जिसके दौरान कोई व्यक्ति अधिवक्ता रहा हो, की संगणना में, वह अवधि भी सम्मिलित होगी जिसके दौरान उसने न्यायिक पद (जुडिशल ऑफिस) धारण किया हो। स्पष्टीकरण—I न्यायिक अधिकारी के अन्तर्गत कोई अन्य पद जिसे उच्च न्यायालय द्वारा इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों द्वारा न्यायिक पद के समतुल्य विहित किया गया हो। स्पष्टीकरण—II प्रवर्ग (क), (ख) और (ग) में से जिला न्यायाधीश/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के संवर्ग के लिए नियुक्ति उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त अनुरक्षित किए गए पद आधारित चौंतीस बिन्दु रोस्टर के अनुसार की जाएगी। टिप्पण 1: सीधी भर्ती में आरक्षण 31 पदों तक की संवर्ग सदस्य संख्या के लिए मॉडल रोस्टर के अनुसार होगा।
--	--	--	--

			टिप्पण 2: यदि संवर्ग सदस्य संख्या परिवर्तित होती है तो तत्स्थानी परिवर्तन पद आधारित रोस्टर में किए जाएंगे। टिप्पण 3: पहले की गई नियुक्ति नए रोस्टर के पुनःस्थापन के कारण प्रभावित नहीं होगी। स्पष्टीकरण III : अभ्यर्थी, जो किसी सरकारी विभाग या किसी अन्य संगठन में नियोजित है, को अपने-अपने नियोक्ता(ओं) के माध्यम से अपने आवेदन प्रस्तुत करने अपेक्षित हैं।
--	--	--	--

क: उपरोक्त खण्ड (ख) और (ग) में दर्शाई गई भर्ती की पद्धति (यदि परिस्थितियां अपेक्षित हों, तो वर्ष में दो बार की जाएगी) के माध्यम से प्रोन्नति द्वारा जिला न्यायाधीशों/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची का अनुसरण किया जाएगा:—

क्रम संख्या	विवरण	तारीख	
1.	उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संगणना निम्नलिखित सहित की जाएगी— (क) विद्यमान रिक्तियां; (ख) रिक्तियां, जो सेवानिवृत्ति के कारण, एक वर्ष के भीतर उदभूत हों; (ग) न्यायिक अधिकारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण भविष्य में उदभूत होने वाली रिक्तियों को अस्थायी रिक्तियों माना जा सकेगा; और (घ) न्यायिक अधिकारियों के अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर जाने के कारण उदभूत हुई रिक्तियों को अस्थायी रिक्तियां माना जा सकेगा।	31 मार्च	15 नवम्बर
2.	पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमन्त्रित करने के लिए विज्ञापन	15 अप्रैल	20 नवम्बर
3.	आवेदन प्राप्त करने की अन्तिम तारीख	30 अप्रैल	10 दिसम्बर
4.	पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन।	15 मई	15 जनवरी
5.	पात्र आवेदकों को प्रवेश पत्रों का प्रेषण/जारी करना।	16 मई से 15 जून	2 फरवरी से 16 फरवरी

6.	लिखित परीक्षा में निम्नलिखित समाविष्ट हो सकेगा— (क) बहुविध विकल्प प्रश्नों (मल्टीपल च्वाइस क्वेसचनज) सहित वस्तुपरक प्रश्न (ऑब्जेक्टिव क्वेसचनज) जिसकी संवीक्षा कम्प्यूटर की सहायता से की जाएगी, और (ख) प्रातीविक (सबजैक्टिव) वर्णनात्मक (नैरेटिव)।	30 जून	7 मार्च
7.	लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा। (क) परिणाम को वैबसाईट पर डाला जाएगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा। (ख) सफर अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 1:3 का अनुपात बनाए रखा जाएगा।	16 अगस्त	7 अप्रैल
8.	मौखिक परीक्षा	1 से 7 सितम्बर	13 से 20 अप्रैल
9.	अंतिम चयन सूची की घोषणा और नियुक्ति प्राधिकारी को संसूचित करना। (क) परिणाम को वैबसाईट पर डाला जाएगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा। (ख) चयन सूची को गुणागुण (मैरिट) के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा और अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के दो गुणा होगी।	15 सितम्बर	27 अप्रैल
10.	तारीख को समस्त विद्यमान रिक्त पदों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र का जारी किया जाना।	30 सितम्बर	30 अप्रैल
11.	कार्यग्रहण की अन्तिम तारीख	31 अक्टूबर	11 मई

ख: उपरोक्त खण्ड (क) में दर्शित भर्ती की पद्धति (यदि परिस्थितियों अपेक्षित हों तो वर्ष में दो बार की जाएगी) के माध्यम से जिला न्यायाधीशों/ अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए निम्नलिखित समय अनुसूची का अनुसरण किया जाएगा:—

क्रम संख्या	विवरण	तारीख	
1.	उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या रिक्तियों की संगणना निम्नलिखित सहित की जाएगी— (क) विद्यमान रिक्तियां; (ख) रिक्तियां जो सेवानिवृत्ति के कारण एक वर्ष के भीतर उद्भूत हों; और (ग) भविष्य में होने वाली रिक्तियां जो उच्च न्यायालय, में उन्नयन के कारण, मृत्यु द्वारा या अन्यथा हों अर्थात् पदों की संख्या का दस प्रतिशत।	31 मार्च	15 नवम्बर

2.	पात्र अधिकारियों से अधिनिर्णयों की प्राप्ति। (क) सूची को वैबसाइट पर डाला जाएगा; (ख) विचारपरिक्षेत्र रिक्तियों की संख्या के 1:3 में होगा।	15 मई	20 नवम्बर
3.	पात्र अधिकारियों की सूची का प्रकाशन।	30 मई	10 दिसम्बर
4.	मौखिक परीक्षा मापदण्ड; (क) पिछले पांच वर्षों की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट; (ख) प्रस्तुत किए गए अधिनिर्णयों का मूल्यांकन; और (ग) मौखिक साक्षात्कार में प्रदर्शन।	15 मई से 31 जुलाई	1 से 15 जनवरी
5.	अंतिम चयन सूची की घोषणा और नियुक्ति प्राधिकारी की संसूचना। (क) परिणाम को वैबसाइट पर डाला जा सकेगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जा सकेगा। (ख) चयन सूची को गुणागुण के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा और अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के दो गुणा होगी।	31 अगस्त	2 फरवरी
6.	तारीख को समस्त विद्यमान रिक्त पदों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र का जारी किया जाना।	30 सितम्बर	7 मार्च
7.	कार्यग्रहण की अंतिम तारीख	31 अक्टूबर	7 अप्रैल

स्पष्टीकरण—I प्रवर्ग (क) (ख) और (ग) में से जिला न्यायाधीशों के संवर्ग के लिए नियुक्तियां, उच्च न्यायालय द्वारा इस निमित्त बनाए रखे जाने वाले 40 बिन्दु रोस्टर के अनुसार की जाएगी।

टिप्पण.—भर्ती की उपरोक्त पद्धति के माध्यम से सिनियर सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए (यदि परिस्थितियां अपेक्षित हों तो एक वर्ष में दो बार की जाएगी) निम्नलिखित समय अनुसूची का अनुसरण किया जाएगा:—

क्रम संख्या	संवर्ग	भर्ती की पद्धति	अर्हताएं, आयु सीमा और अनुभव आदि
1	सिनियर सिविल न्यायाधीश	गुणागुण (मैरिट) एवं वरिष्ठता के आधार पर सिविल न्यायाधीशों के संवर्ग में से प्रोन्नति द्वारा	सिविल न्यायाधीशों के संवर्ग में पांच वर्ष का न्यूनतम अनुभव

टिप्पण I: नियुक्ति प्राधिकारी, उन परिस्थितियों में जहां उपरोक्त वांछित अनुभव रखने वाले सिविल न्यायाधीश उपलब्ध न हो तो वहां उपरोक्त न्यूनतम अनुभव मापदण्ड को शिथिल कर सकेगा किन्तु किसी भी दशा में तीन वर्ष से कम के अनुभव के लिए ऐसा शिथिलीकरण नहीं किया जाएगा।

टिप्पण II: भर्ती की उपरोक्त पद्धति के माध्यम से सिनियर सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए (यदि परिस्थितियां अपेक्षित हों तो एक वर्ष में दो बार की जाएगी) निम्नलिखित अनुसूची का अनुसरण किया जाएगा:—

क्रम संख्या	विवरण	तारीख	
1.	उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या। रिक्तियों की संगणना निम्नलिखित सहित की जाएगी: (क) विद्यमान रिक्तियां: (ख) भविष्य में होने वाली रिक्तियां जो सेवानिवृत्ति के कारण एक वर्ष के भीतर उद्भूत हों; और (ग) भविष्य में होने वाली रिक्तियां जो उच्च न्यायालय में उन्नयन के कारण, मृत्यु द्वारा या अन्यथा हों, अर्थात् पदों की संख्या का दस प्रतिशत।	31 मार्च	15 नवम्बर
2.	पात्र अधिकारियों की सूची का प्रकाशन (क) सूची को वैबसाइट पर डाला जाएगा। (ख) विचारपरिक्षेत्र रिक्तियों की संख्या के 1:3 में होगा।	15 मई	20 नवम्बर
3.	पात्र अधिकारियों से अधिनिर्णयों की प्राप्ति	30 मई	10 दिसम्बर
4.	मौखिक परीक्षा मापदण्ड: (क) पिछले पांच वर्ष की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट; और (ख) प्रस्तुत किए गए अधिनिर्णयों का मूल्यांकन।	1 से 16 अगस्त	1 से 15 जनवरी
5.	अंतिम चयन सूची की घोषणा और नियुक्ति प्राधिकारी को संसूचना। (क) परिणाम को वैबसाइट में डाला जाएगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा। (ख) चयन सूची को गुणागुण के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा और अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के दो गुणा होगी।	15 सितम्बर	2 फरवरी
6.	तारीख को समस्त विद्यमान रिक्त पदों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र का जारी किया जाना	30 सितम्बर	7 मार्च
7.	कार्यग्रहण की अंतिम तारीख	31 अक्टूबर	7 अप्रैल

1	2	3	4
3.	सिविल न्यायाधीश	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित की जाने वाली प्रतियोगी परीक्षा लिखित के साथ-साथ मौखिक परीक्षा (वाइवा-वासि) में प्राप्त गुणागुण (मैरिट) के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	अर्हता और आयु आदि सहित पात्रता का मापदण्ड निम्नलिखित होगा। (1) भारत का नागरिक हो। (2) भारतीय विधिज्ञ परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त विधि की उपाधि रखता हो। (3) आवेदनों को प्राप्त होने की विहित अंतिम तारीख को आयु सीमा न्यूनतम 22 (बाईस) वर्ष और अधिकतम 35 (पैंतीस) वर्ष अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य विहित आरक्षित वर्गों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों की दशा में 38 (अड़तीस) वर्ष होगी:

		परन्तु सेवा के लिए सीधी नियुक्तियां, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों, शारीरिक निःशक्तों के लिए सेवा में आरक्षण सम्बन्धित समय-समय पर जारी और उच्च न्यायालय के परामर्श से ऐसी नियुक्तियों को लागू आदेशों के अधधीन होगी: परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षित रोस्टर बिन्दु के विरुद्ध बैकलॉग /अग्रेषित रिक्ति को भरने के लिए तीन भर्ती वर्षों की समयावधि लागू होगी और तृतीय भर्ती वर्ष में किसी विशिष्ट अग्रेषित /बैक लॉग रिक्ति को भरते समय, यह अधिसूचित किया जाएगा कि यदि उस प्रवर्ग से, जिसके लिए पद आरक्षित है, उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, तो रिक्ति अनारक्षित समझी जाएगी और अनारक्षित रिक्ति के रूप में भरी जाएगी: परन्तु यह और कि यदि बैकलॉग/ अग्रेषित आरक्षित रिक्ति तृतीय आनुक्रमिक भर्ती वर्ष में अनारक्षित अभ्यर्थी द्वारा भरी जाती है तो ऐसा अभ्यर्थी उस प्रवर्ग, जिसके लिए अग्रेषित भर्ती प्रक्रिया का अनुसरण किया गया था के लिए, आरक्षित रोस्टर बिन्दु का अस्थायी रूप से स्थान लेगा और ऐसा अभ्यर्थी/नियुक्त व्यक्ति आरक्षित रोस्टर बिन्दु को रिक्त करेगा और जैसे ही ऐसी अनारक्षित रिक्ति पद आधारित रोस्टर में उपलब्ध हो जाती है, अनारक्षित रोस्टर बिन्दु का स्थान लेगा और अनारक्षित अभ्यर्थी द्वारा इस प्रकार रिक्त किए गए रोस्टर बिन्दु को ऐसे रोस्टर बिन्दु प्रवर्ग के लिए नियत आरक्षित रिक्ति के रूप में विज्ञापित किया जाएगा।
--	--	---

टिप्पण.—भर्ती की उपरोक्त पद्धति के माध्यम से सिविल न्यायाधीश के संवर्ग में रिक्तियों को भरने के लिए (यदि परिस्थितियां अपेक्षित हों तो एक वर्ष में दो बार की जाएगी) निम्नलिखित समय अनुसूची का अनुसरण किया जाएगा।

क्रम संख्या	विवरण	तारीख	
1.	उच्च न्यायालय द्वारा अधिसूचित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या: रिक्तियों की संगणना निम्नलिखित सहित की जाएगी:— (क) विद्यमान रिक्तियां; (ख) भविष्य में होने वाली रिक्तियां जो सेवानिवृत्ति के कारण एक वर्ष के भीतर उदभूत हों; और	5 जून	5 दिसम्बर

	(ग) भविष्य में होने वाली रिक्तियां जो प्रोन्नति के कारण, मृत्यु द्वारा अथवा अन्यथा हो अर्थात् पदों की संख्या का दस प्रतिशत।		
2.	पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन	15 जून	15 दिसम्बर
3.	आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख	5 जुलाई	5 जनवरी
4.	पात्र आवेदकों की सूची का प्रकाशन; सूची वैबसाइट पर डाली जाएगी	1 अगस्त	1 फरवरी
5.	पात्र आवेदकों को प्रवेश पत्रों का प्रेषण/जारी करना।	2 अगस्त से 20 अगस्त	2 से 15 फरवरी
6.	प्रारंभिक लिखित परीक्षा बहुविध विकल्प सहित वस्तु परक प्रश्न जिनकी संवीक्षा कम्प्यूटर द्वारा की जाएगी।	5 सितम्बर	2 मार्च
7.	प्रारंभिक लिखित परीक्षा परिणाम की घोषणा (क) परिणाम वैबसाइट पर डाला जाएगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा। (ख) सफल अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 1:10 बनाया रखा जाएगा।	25 सितम्बर	15 मार्च
8.	अंतिम लिखित परीक्षा प्रावीतिक (सबजैक्टिव/वर्णनात्मक (नैरेटिव))	15 अक्टूबर	30 मार्च
9.	अंतिम लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा: (क) परिणाम वैबसाइट पर डाला जाएगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा। (ख) सफल अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध रिक्तियों का 1:3 बनाया रख जाएगा। (ग) सफल अभ्यर्थियों के साक्षात्कार की तारीखें इंटरनेट पर डाली जाएगी जिनका अभ्यर्थियों द्वारा प्रिन्टआउट लिया जा सकता है और साक्षात्कार की तारीख की कोई अलग से सूचना भेजी जानी आवश्यक नहीं है।	15 नवम्बर	1 मई
10.	मौखिक परीक्षा	1 से 7 दिसम्बर	15 से 20 मई
11.	अंतिम चयन सूची की घोषणा और नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित करवाना:- (क) परिणाम को वैबसाइट में डाला जाएगा और समाचार पत्र में भी प्रकाशित करवाया जाएगा। (ख) चयन सूची को गुणागुण (मैरिट) के आधार पर प्रकाशित किया जाएगा और अधिसूचित की गई रिक्तियों की संख्या के दो गुणा होगी।	10 दिसम्बर	25 मई
12.	तारीख को समस्त विद्यमान रिक्त पदों के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति पत्र का जारी किया जाना।	31 दिसम्बर	10 जून
13.	कार्यग्रहण की अंतिम तारीख	15 जनवरी	30 जून

टिप्पण.—सीधी भर्ती के लिए आवेदन करने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या तो उपरोक्त (ग) में वर्णित पद या 3 में वर्णित पद के लिए आवेदन के साथ, उससे असंबद्ध दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों, जो उसके सद्व्यवहार के साथ-साथ पूर्ववृत्तों को प्रमाणित करते हो, द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र को प्रस्तुत करना होगा

5. नियम 7 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 7 के उप नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

“(2) सेवा में प्रवेश के समय उच्चतर अर्हता, जैसे विधि स्नातकोत्तर, रखने वाले चयनित अभ्यर्थियों को तीन अग्रिम वेतन वृद्धियाँ दी जाएगी।

(3) सेवा के सदस्य का वेतन, जहाँ आवश्यक हो, समय-समय पर हिमाचल प्रदेश में प्रवृत्त नियमों के उपबन्धों के अधीन नियत किया जाएगा, परन्तु जहाँ सदस्य की वेतनवृद्धि उसके विभागीय परीक्षा पास करने में असफल रहने पर रोक दी गई है तो वह विहित मानदण्ड द्वारा विभागीय परीक्षा पास करने से पूर्व सेवा में अपनी नियुक्ति से पूर्व उस द्वारा धारण किए गए पद के टाईम वेतनमान में अपनी अधिष्ठायी या स्थानापन्न वेतन में वृद्धि के आधार पर वेतन के पुनः निर्धारण का हकदार नहीं होगा। तथापि, इस अवधि के दौरान उसे समय-समय पर उसका अधिष्ठायी वेतन दिया जा सकेगा यदि वह सेवा में उसके स्थानापन्न वेतन से अधिक होता है।”।

6. नियम 14 का संशोधन.—उक्त नियमों के नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात्:—

“14. अधिवर्षिता की आयु.—सेवा के सदस्य की अधिवर्षिता की आयु 60 (साठ) वर्ष होगी:

परन्तु 58 (अठावन) वर्ष पूर्ण होने से पूर्व अधिकारी के सेवा अभिलेख का मूल्यांकन किया जाएगा और सेवा में 60 (साठ) वर्ष की आयु तक उसे रखे रखने के लिए उसकी उपयुक्तता, क्षमता और स्वस्थता अवधारित की जाएगी और यदि वह उपयुक्त और स्वस्थ नहीं पाया जाता है तो उसे 58 (अठावन) वर्ष की आयु परी ही अनिवार्यतः सेवा निवृत्त कर दिया जाएगा।”।

आदेश द्वारा,
प्रबोध सक्सेना,
प्रधान सचिव (गृह)।

[Authoritative English text of Government Notification No. Home-B-B(2)-4/2004-III-Loose Dated 14-07-2016 as required under Clause (3) of article 348 of the Constitution of India].

HOME DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 14th July, 2016

No. Home-B-B(2)-4/2004-III-Loose.—In continuation of this department Notification No. Home-B-B(2)-4/2004-III-Loose dated 14th June, 2016 and in exercise of the powers conferred by articles 233, 234 and proviso to Article 309 of the Constitution of India read with sub-section (1) of section 4 of the Himachal Pradesh Judicial Officers (Pay, Allowances and Conditions of Service) Act, 2003 (Act No. 10 of 2003) and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Himachal Pradesh, in consultation with the High Court of Himachal Pradesh and Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following rules further to amend the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Judicial Service (2nd Amendment) Rules, 2016.

2. Amendment of rule-3.—be rule-3 of Rule-3 of the Himachal Pradesh Judicial Service Rules, 2004 (hereinafter referred to as the "said rules", for subrule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(3) With effect from the date of commencement of these rules, the existing cadres specified in column (2) below shall stand designated as the cadres specified in the corresponding entries in column (1) below and they shall accordingly constitute the service:—

(1)	(2)
(a) District Judges/Addl. District Judges.	(i) District & Sessions Judges (ii) Addl. District & Sessions Judges
(b) Senior Civil Judges	(i) Senior Sub Judge -cum- Chief Judicial Magistrates (ii) Addl. Chief Judicial Magistrates
(c) Civil Judges	(i) Sub Judge-cum-J.M."

3. **Amendment of rule-5.**—In rule -5 of the said rules, at the end of the Table, the following provision shall be inserted, namely:—

"Reservation for the persons with disability,- 3% reservation to the categories of the Additional District Judges and Civil Judges:—

Reservation shall be provided to the candidates:

- (a) suffering from blindness of low vision provided that the disability is not 75% and more,
- (b) suffering from hearing impairment, provided that such impairment is not of 60 decibel or more after hearing aid/surgical correction.
- (c) suffering from locomotor disability.

(Note: Persons with functional dominant hand can also be considered):

Provided further that the candidate,-

- (i) should not have any mental retardation of any degree and major mental illness like Schizophrenia or affective disorder and chronic psychosis,
- (ii) should not have any Neurological disorder having impaired higher mental function/cognition and significant speech defect:

Provided further that the Selection list prepared for all categories of officials shall be valid till the next select list is published."

4. Substitution of Table under rule 5.—In rule 5 of the said rules, for the existing Table, the following Table shall be substituted, namely:—

Sr. No.	Cadre	Method of Recruitment	Qualification, age limit and experience etc.
1.	District Judges/ Additional District Judges	(a) 65% by promotion from amongst the Senior Civil Judges on the basis of principle of	—

		merit-cum-seniority, and passing a suitability test as may be prescribed & conducted by the High Court in accordance with the regulations. (b) 10% by promotion from amongst Senior Civil Judges on the basis of merit through limited Competitive examination as may be prescribed and conducted by the High Court in accordance with the regulations. However, if the post (s) cannot be filled under this mode due to non-availability of suitable candidate (s), the same shall be filled by regular promotion under mode (a). (c) 25% by direct recruitment, from amongst eligible Advocates, on the basis of examination, written as well as oral (viva voce) test as may be prescribed and conducted by the High Court in accordance with regulations.	Minimum Service of 5 years in the cadre of Senior Civil Judge. The following shall be the eligibility criteria, including qualifications, age limit and experience etc. (i) Citizen of India; (ii) Holder of a degree in Law as recognized by the Bar Council of India. (iii) Practicing Advocate at the Bar for a minimum period of seven years as on the last date fixed for receipt of the applications. (iv) Must have attained the age of 35 (thirty five) years and must not have attained the age of 45 (forty five) years as on the last date prescribed for receipt of applications. Note: For the purpose of this clause, in computing the period during which a person has been an Advocate there shall be included any period during which he has held a judicial office.
--	--	---	--

			Explanation I - Judicial Officer includes any other Office as may be prescribed being equivalent to a Judicial Office, by the High Court in the regulations made for this purpose. Explanation II – Appointment to the cadre of the District Judges/ Additional District Judges from categories (a), (b) & (c) shall be in accordance with post based 34 point roster to be maintained by the High Court in this behalf. Note 1: Reservation in direct recruitment shall be as per Model Roster for cadre strength upto 31 posts. Note 2: In case the cadre strength is changed, the corresponding changes shall be made in post-based roster. Note 3: The appointment already made shall not be affected on account of introduction of new roster. Explanation (III): The candidates who are employed in any Government department or in any other Organization are required to submit their application(s) through their respective employer(s).
--	--	--	--

A: for filling of vacancies in the cadre of District Judges/Addl. District Judges by way of promotion through the method of recruitment (to be held twice in a year if the circumstances so require) shown in clauses (b) and (c) above, the following time schedule shall be followed:—

Sr. No.	Description	Date(s)	
1.	Number of vacancies to be notified by the High Court vacancies to be calculated including:— a) Existing vacancies; b) Vacancies that may arise within one year due to retirement; and	31st March	15 th November

	c) Future vacancies arising due to deputation of judicial officers to other department, which will be considered as temporary vacancies. d) Vacancies arising due to deputation of judicial officers to other department may be considered as temporary vacancy.		
2.	Advertisement inviting applications from eligible candidates.	15 th April	20 th November
3.	Last date for receipt of application.	30 th April	10 th December
4.	Publication of list of eligible applicants.	15 th May	15 th January
5.	Dispatch/issue of admit cards to the eligible applicants.	16 th May to 15 th June	2 nd February to 16 th February
6.	Written examination may be:— a) Objective questions with multiple choice question which can be scrutinized with the help of the computer; and b) subjective/narrative.	30 th June	7 th March
7.	Declaration of result of written examinations: a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) The ratio of 1:3 of the available vacancies to the successful candidates shall be maintained.	16 th August	7 th April.
8.	Viva Voce.	1 st to 7 th September	13 th to 20 th April.
9	Declaration of final select list and communication to the appointing authority. a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) Select list shall be published in the order of merit and shall be double the number of vacancies notified.	15 th September	27 th April.
10.	Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on the date.	30 th September	30 th April.
11.	Last date of joining	31 st October	11 th May

B. For filling of vacancies in the cadre of District Judges/Additional District Judges through the method of recruitment shown in clause (a) above, the following time schedule shall be followed (to be held twice in a year, if the circumstances so require):—

Sr. No.	Description	Date(s)	
1.	Number of vacancies to be notified by the High Court. Vacancies to be calculated including:— a) Existing vacancies; b) Vacancies that may arise within one year due to retirement; and c) Future vacancies that may arise due to elevation to the High Court, death or otherwise, say ten percent of the number of posts.	31 st March	15 th November
2.	Publication of list of eligible Officers a) The list shall be put on the website. b) Zone of consideration shall be 1:3 of the number of vacancies.	15 th May	20 th November
3.	Receipt of judgments from the eligible officers.	30 th May	10 th December
4.	Viva Voce Criteria: a) ACR for last five years; b) Evaluation of judgments furnished; and c) Performance in the oral interview.	15 th to 31 st July	1 st to 15 th January
5.	Declaration of final select list and communication to the appointing authority a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) Select list be published in order of merit and shall be double the number of vacancies notified.	31 st August	2nd February
6.	Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on date.	30 th September	7 th March
7.	Last date for joining	31 st October	7 th April

Explanation.—Appointments to the cadres of the District Judges from categories (a), (b) and (c) shall be in accordance with roster to be maintained by the High Court in this behalf.

Note.—For filling up vacancies in the cadre of Senior Civil Judge through the aforesaid method of recruitment (to be held twice in a year, if the circumstances so require), following time schedule shall be followed:—

Sr. No.	Cadre	Method of recruitment	Qualifications, age limit and experience etc.
2.	Senior Civil Judges	By promotion from the cadre of civil Judges on the basis of merit-cum-seniority.	Minimum experience of five years in the cadre of Civil Judges

Note I: The Appointing Authority, may in situation where Civil Judges with the aforesaid requisite experience are not available, relax the aforesaid minimum experience criteria but in no case shall relaxation go below three years.

Note II: For filling up vacancies in the cadre of Senior Civil Judge through the aforesaid method of recruitment, (to be held twice in the year, if the circumstances so require), following time schedule shall be followed:—

Sr. No.	Description	Date	
1.	Number of vacancies to be notified by the High Court. Vacancies to be calculated including a) existing vacancies; b) future vacancies that may arise within one year due to retirement; and c) future vacancies that may arise due to elevation to the High Court, death or otherwise, say ten percent of the number of posts.	31 st March	15 th November
2.	Publication of list of eligible Officers a) The list may be put up on the website, b) Zone of consideration shall be 1:3 of the number of vacancies.	15 th May	20 th November
3.	Receipt of judgments from the eligible officers	30 th May	10 th December
4.	Viva Voce Criteria: a) ACR for last five years; and b) Evaluation of judgment furnished.	1 st to 16 th August	1 st to 15 th January
5.	Declaration of final select list and communication to the appointing authority. a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper. b) Select list shall be published in order of merit and shall be double the number of vacancies notified	15 th September	2 nd February
6.	Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on date.	30 th September	7 th March
7.	Last date for joining.	31 st October	7 th April.

1	2	3	4
3.	Civil Judges	By direct recruitment on the basis of merit obtained in the competitive examination, written as well as oral (viva voce) tests to be conducted by the H.P. Public Service Commission.	The following shall be the eligibility criteria including qualification and age etc:- (1) Citizen of India (2) Holder of Degree in Law as recognized by the Bar Council of India.

		(3) Age limit, minimum 22 years and Maximum 35 years and 38 years in cases of candidates belonging to Scheduled Caste/Scheduled Tribe/other prescribed reserved categories as on the last date prescribed for receipt of application. Provided that the direct appointments to the service shall be subject to the orders regarding reservation in the service for SC, ST, Backward Classes, Physically disabled issued by the Himachal Pradesh Govt., from time to time, and made applicable to such appointments, in consultation with the High Court. Provided further that a time cap of three recruitment years shall apply for filing up of backlog/carry forward vacancy against reserved roster point for Schedule Castes/Schedule Tribes/ Other Backward Classes and while doing so in the 3rd recruitment year to fill up a particular carry forward/backlog vacancy, it shall be notified that in case suitable candidate from the category to which the post is reserved is not available then the vacancy will be treated as un-reserved and filled in as unreserved vacancy. Provided further that if backlog/carry forward reserved vacancy is filled by un-reserved candidate in the 3rd successive recruitment year, such candidate shall temporarily occupy the roster point reserved for the category for which carry forward recruitment process was followed and such candidate/appointee shall vacate the reserved roster point and
--	--	---

		occupy the un-reserved roster point as soon as such unreserved vacancy is available in the post based roster and that the roster point so vacated by un-reserved candidate shall be advertised as reserved vacancy meant for such roster point category.
--	--	--

Note.—For filing of vacancies in the cadre of Civil Judge through the aforesaid method of recruitment (to be held twice in a year, if the circumstances so require), following time schedule shall be followed:—

Sr. No.	Description	Date(s)	
1.	Number of vacancies to be notified by the High Court. Vacancies to be calculated including (a) existing vacancies; (b) future vacancies that may arise within one year due to retirement; and (c) future vacancies that may arise due to promotion, death or other wise, say ten percent of the number of posts.	5 th June	5 th December
2.	Advertisement inviting applications from eligible candidates.	15 th June	15 th December
3.	Last date of receipt of application	5 th July	5 th January
4.	Publication of list of eligible applicants; The list shall be put up on the website.	1 st August	1 st February
5.	Dispatch/Issue of admit cards to the eligible applicants	2 nd August to 20 th August	2 nd to 15 th February
6.	Preliminary written examinations Objective questions with multiple choice which shall be scrutinized with the help of Computer.	5 th September	2 nd March
7.	Declaration of result of preliminary written examinations a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper b) The ratio of 1:10 of the available vacancies to the successful candidates shall be maintained.	25 th September	15 th March
8.	Final Written examinations subjective/ narrative	15 th October	30 th March
9.	Declaration of result of final written examination a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper b) The ratio of 1:3 of the available vacancies to the successful candidates shall be maintained	15 th November	1 st May

	c) Dates of interview of the successful candidates shall be put on the internet which shall be printed by the candidates and no separate intimation of the date of interview need to be sent.		
10.	Viva Voce	1 st to 7 th December	15 th to 20 th May
11.	Declaration of final select list and communication to the appointing authority a) Result shall be put on the website and also published in the newspaper b) Select list shall be published in order of merit and shall be double the number of vacancies notified.	10 th December	25 th May
12.	Issue of appointment letter by the competent authority for all existing vacant posts as on date.	31 st December	10 th June
13.	Last date for joining.	15 th January	30 th June.

Note.—Every candidate applying for direct recruitment, either for the post mentioned in (c) or post mentioned at 3 above shall submit alongwith the application, certificate furnished by two respectable persons un-connected with him, testifying to his character good behavior as well as antecedents.

5. Amendment of rule 7.—In rule-7 of the said rules, for sub-rule (2), the following subrules shall be substituted, namely :—

"(2) The selected candidates having a higher qualification like Post Graduation in Law at the time of entry in service shall be given three advance increments.

(3) The pay of the member of the service shall be fixed where necessary under the provision of the rules in force in Himachal Pradesh, from time to time, provided that where the increment of a member is withheld for his failure to pass the departmental examination, he shall not be entitled before he passes the departmental examination by the prescribed standard, to the re-fixation of pay on the basis of enhancement in his substantive or officiating pay the time scale of the post held by him prior to his appointment to the service. However, during this period he may be allowed his substantive pay from time to time if the same happens to be more than his officiating pay in the service."

6. Amendment of rule 14.—For rule-14 of the said rules, the rule shall be substituted, namely:—

"14. Age of superannuation.—The age of superannuation of a member of the service shall be 60 (sixty) years.

Provided that before the completion of 58 (fifty eight) years, service record of the officer will be evaluated and his suitability, potential and fitness for being retained in service upto the age of 60 (sixty) years shall be determined and in case he is not found suitable and fit, he shall be compulsorily retired at the age of 58 (fifty eight) years."

By order,
PRABODH SAXENA,
Principal Secretary (Home).

TRANSPORT DEPARTMENT**NOTIFICATION***Dated: 1st March, 2016*

No. TPT-F (1)-2/2001-III .—An Agreement between the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand is proposed to be entered with respect to operations of Stage Carriage vehicles (buses) by the operators of one state into the territory of the other state as required under Sub Section (5) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988.

Now, therefore, in fulfillment of the requirements of the sub-section 5 of Section 85 of the Motor Vehicle Act, 1988, a notice as in Annexure-A herewith is published for the information of the persons likely to be affected thereby.

Notice is hereby given to the persons likely to be affected by the said reciprocal agreement between the States of Himachal Pradesh and Uttarakhand that objections/suggestions in this regard, if any, be sent to the Additional Chief Secretary (Transport) to the Government of Himachal Pradesh, Shimla-171002 within 30 days from the date of publication of this notice in the official Gazette of Himachal Pradesh. Objections received after the prescribed time shall not be entertained.

By order,
(AJAY MITTAL),
Additional Chief Secretary (Transport).

ANNEXURE-A

1. That there shall be no Stage Carriage operations by the private operators of either state in or through the territory of the other State.
2. The operations by the State Transport Undertaking (s), by whatever name these may be known, of one state in the territory of the other state shall be as follows:—

(a) Operations of Himachal Road Transport Corporation in Uttarakhand

Sr. No.	Name of Route	Via	Name of Depot	No. of Trip	Single Mileage	K.M. per day
1.	Dehradun- Baijnath	Nahan	Baijnath	1 RT	45	90
2.	Dehradun-Shimla	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
3.	Dehradun-Harsipattan	Nahan	Una	1 RT	45	90
4.	Dehradun- Amritsar	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
5.	Dehradun-Chandigarh	Nahan	Nahan	2 RT	45	180
6.	Dehradun-Dharamshala	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
7.	Dehradun- Chamba	Nahan	Chamba	1 RT	45	90
8.	Dehradun-Dharamshala	Nahan	Dharamshala	1 RT	45	90
9.	Dehradun-Manali	Nahan	Nahan/Kullu	2 ST	45	90
10.	Dehradun- Baijnath	Nahan	Nahan	1 RT	45	90
11.	Dehradun-Paonta	Nahan	Nahan	2 ST	45	90
12.	Dehradun-Shimla	Nahan	Nahan	1 RT	45	90

13.	Tanakpur-Shimla	Saharanpur	Shimla Rural	1 RT	294	588
14.	Tanakpur-Manali	Saharanpur	Kullu	1 RT	294	588
15.	Haridwar- Nalagarh	Saharanpur	Nalagarh	1 RT	44	88
16.	Haridwar-Manali	Nahan	Sundernagar	1 RT	100	200
17.	Haridwar-Rohroo	Vikasnagar	Rohroo	1 RT	305	610
18.	Haridwar-Chopal-Shimla	Vikasnagar	Taradevi	1 RT	305	610
19.	Haridwar-Shimla	Nahan	Nahan	1 RT	100	200
20.	Haridwar-Rohroo	Nahan	Rohroo	1 RT	100	200
21.	Haridwar-Manali	Saharanpur	Mandi	1 RT	44	88
22.	Haridwar- Sarkaghat	Nahan	Sarkaghat	1 RT	100	200
23.	Haridwar-Dharamshala	Saharanpur	Dharamshala	1 RT	44	88
24.	Haridwar- Palampur	Saharanpur	Palampur	1 RT	44	88
25.	Haridwar- Hamirpur	Saharanpur	Hamirpur	1 RT	44	88
26.	Haridwar- Sarkaghat	Nahan	Bilaspur	1 RT	100	200
27.	Haridwar- Chamba	Saharanpur	Chamba	1 RT	44	88
28.	Haridwar-Manali	Saharanpur	Kullu	1 RT	44	88
29.	Haridwar- Dhramshala	Saharanpur	Dehra	1 RT	44	88
30.	Haridwar-Shimla	Saharanpur	Solan	1 RT	44	88
31.	Haridwar- Baijnath	Saharanpur	Baijnath	1 RT	44	88
32.	Haridwar- Jangalberri	Nahan	Bilaspur	1 RT	100	200
33.	Haridwar-Rohroo	Nahan	Rohroo	1 RT	100	200
34.	Haridwar- Pathankot	Nahan	Pathankot	1 RT	100	200
35.	Haridwar- Hamirpur	Saharanpur	Hamirpur	1 RT	44	88
36.	Haridwar- Nagrota	Saharanpur	Nagrota	1 RT	44	88
37.	Haridwar-Recong Peo	Saharanpur	Recong Peo	1 RT	44	88
38.	Haridwar- Pathankot	Saharanpur	Pathankot	1 RT	44	88
39.	Haridwar-Manali	Saharanpur	Sundernagar	1 RT	44	88
40.	Haridwar-Karsog	Saharanpur	Shimla Rural	1 RT	44	88
41.	Haridwar- Keylong	Nahan	Keylong	1 RT	10	20
42.	Haridwar-Shimla	Saharanpur	Taradevi	1 RT	44	88
43.	Haridwar- Sarahan	Nahan	Rampur	1 RT	100	200

b. Operation of Uttarakhand Transport Corporation in Himachal Pradesh:

Sr. No.	Name of Route	Single Trip	No. of Permits	Distance one sided in Himachal	K.M. Per day
1.	Dehradun-Paonta via Vikasnagar	8	4	1	8
2.	Dehradun-Paonta	10	5	1	10
3.	Haridwar-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	10	10	90	900
4.	Dehradun-Paonta via Nahan	2	1	48	96
5.	Ruperia-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	8	8	90	720
6.	Haridwar-Manali via Saharanpur-Chandigarh	2	2	236	472
7.	Haridwar-Rohroo via Dehradun Tyuni	2	2	26	52
8.	Srinagar-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	2	2	90	180
9.	Haridwar-Nahan- Shimla via Paonta	2	2	191	382
10	Tanakpur-Shimla via Saharanpur-Chandigarh	2	2	90	180

11.	Dehradun-Manali via Paonta-Chandigarh	2	2	300	600
12.	Dehradun-Katra via Paonta-Chandigarh	2	2	69	138
13.	Dehradun-Shimla via Paonta-Nahan	2	2	191	382
14.	Tanakpur-Dehradun- Paonta	2	2	1	2
15.	Tanakpur-Dharamshala via Haridwar-Saharanpur-Chandigarh- Ropar-Nangal-Kangra- Dharamshala	2	2	172	344
16.	Dehradun-Dharamshala via Paonta-Chandigarh	2	2	233	466
17.	Haridwar-Dharamshala via Haridwar-Saharanpur- Chandigarh-Ropar-Nangal-Kangra- Dharamshala	2	2	172	344
18.	Tanakpur-Manali via Saharanpur-Chandigarh	2	2	236	472
19.	Srinagar-Dehradun-vikasnagar-Paonta	2	2	1	2
20.	Kotdwar-Dehradun-vikasnagar-Paonta	2	2	1	2
21.	Bahpur-Kashipur- Dehradun-Paonta	2	2	1	2
22.	Dingling-Dehradun-Paonta-Chandigarh-Dhramshala	2	2	233	466
23.	Dehradun-Paonta- Chandigarh	20	10	62	1240
24.	Massorie-Dehradun- Nahan-Shimla	2	2	191	382
25.	Haldwani-Dehradun- Paonta Sahib	2	1	1	2
26.	Haldwani-Dehradun-Paonta-Chandigarh	2	2	62	124
27.	Haldwani-Ramnagar-Haridwar-Saharanpur- Shimla	2	2	90	180
28.	Shergarh-Dehradun- Paonta	2	1	1	2
29.	Rishikesh-Dehradun- Paonta	2	1	1	2
30.	Roorki-Dehradun- Paonta	2	1	1	2
31.	Massorie-Dehradun-Paonta-Chandigarh	2	1	62	124
32.	Haridwar-Saharanpur-Shimla-Rampur	2	2	90	180
33.	Haridwar-Dehradun- Paonta	10	5	1	10
34.	Dehradun-Tiyuni- Shimla	2	2	115	230
35.	Dehradun-Paonta-Chandigarh-Ludhiana	2	2	62	124
	TOTAL	124	94	3212	8822

3. In addition to the above routes, if a State Transport Undertaking propose to start operation on any other route in the territory of the other State, it shall through the Transport Authorities of its State make an application to the State Transport Authority of the other State who will countersign the requisite permit for such route without any need for amending or reentering this agreement and on such countersignature being granted, this Agreement shall be deemed to have been modified to that extent.

ब अदालत अनिल भारद्वाज कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री अंकित कुमार सपुत्र श्री रतन चंद, निवासी व डाकघर बगढार, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 07-04-1993 है, जोकि ग्राम पंचायत बगढार के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत बगढार के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-08-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 29-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

अनिल भारद्वाज,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

ब अदालत प्रीतम चंद शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रणजीत सिंह सपुत्र श्री गैपो राम, निवासी गांव ललहेड, डाकघर कैहल, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र रवि कुमार व लकी कुमार की जन्म तिथियां क्रमशः 07-01-1993 व 13-11-1995 हैं, जोकि ग्राम पंचायत मोरनू के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी के पुत्रों की जन्म तिथियां, ग्राम पंचायत मोरनू के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-08-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 27-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

प्रीतम चंद शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

ब अदालत प्रीतम चंद शर्मा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री हरीश कुमार सपुत्र श्री रतन चंद, निवासी गांव व डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.-प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र, ब्यान-हल्फी वमय अन्य कागजात इस आशय से गुजारा है कि उसकी जन्म तिथि 09-04-1995 है, जोकि ग्राम पंचायत बलेरा के रिकार्ड में दर्ज न है। जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी की जन्म तिथि, ग्राम पंचायत बलेरा के रिकार्ड में दर्ज करने पर, यदि किसी को कोई उजर-एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 04-08-2016 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर ना आने की सूरत में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 30-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व अदालत मोहर से जारी हुआ।

मोहर।

प्रीतम चंद शर्मा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
डलहौजी (हि0 प्र0)।

**In the Court of Dr. Jitender Kanwar, HPAS, Sub Divisional Magistrate Bharmour,
District Chamba (H. P.)**

Shri Milap Singh s/o Shri Prahlad Singh, Village Kanota, PO Khanni, Tehsil Bharmour,
District Chamba (H.P.) . . Applicant.

Versus

General Public

Proclamation under order 5, Rule 20, C.P.C. under Section 13(3) of the Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Milap Singh s/o Shri Prahlad Singh, Village Kanota, PO Khanni, Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P. has filed an application alongwith an affidavit regarding the registration of date of birth of his son Aditya i.e. 17-12-2011 for entry in the record of Gram Panchayat Khanni, Development Block Bharmour, Tehsil Bharmour, District Chamba H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the General Public, that if they have any objection/claim regarding the registration of date of birth of Aditya for entry in the concerned Gram Panchayat Khanni i.e. 17-12-2011 they may file their claim/objections on or before 10-8-2016 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat for registration of date of birth accordingly.

Given today under my signature and seal of the Court.

Seal.

Dated : 25-6-16
Place : Bharmour

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Bharmour, District Chamba (H.P.).

**In the Court of Dr. Ganesh Thakur, Asstt. Collector Gr.II, Bharmour,
District Chamba, Himachal Pradesh**

Shalini Thakur d/o Narad Ram, Village Brahmani, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba, HP

Versus

General Public

Proclamation under order 5 Rule 20 C.P.C. under section 37 of Himachal Pradesh Land Revenue Act, 1954.

Whereas Shalini Thakur d/o Narad Ram, Village Brahmani, P.O. Khani, Tehsil Bharmour, District Chamba, HP has filed an application alongwith an affidavit and other relevant documents regarding the correction of name in revenue record Tehsil Bharmour, District Chamba, H.P., thereof.

Hence, this proclamation is issued to the general public that if they have any objection/claim regarding the correction of the name of in revenue record they may file claim/objection on or before 10-08-2016 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned patwar circle for correction of name.

Given today under my signature and seal of the court.

Seal.

Dated : 2-7-2016
Place : Bharmour

Sd/-
Assistant Collector Grade-II,
Bharmour, District Chamba, H.P.

ब अदालत श्री अशवनी कुमार शर्मा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, मुलथान, जिला कांगड़ा

मुकद्दमा नं० : 03 / 2016

श्रीमती रमिता भूषण पुत्री श्री संसार सिंह नेपाली, निवासी तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता प्रतिवादी।

हस्तहार राजपत्र राजस्व अभिलेख महाल मुलथान में रमिता देवी पुत्री संसार चन्द के बजाये रमिता भूषण पुत्री संसार सिंह नेपाली की दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त विषय पर आवेदिका श्रीमती रमिता देवी पुत्री संसार सिंह नेपाली, निवासी तोतारानी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि० प्र० ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ पत्र इस आशय से गुजार रखा है कि उसका नाम विद्यालय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस तथा अन्य सभी दस्तावेजों में रमिता भूषण पुत्री संसार सिंह नेपाली दर्ज है परन्तु महाल मुलथान के राजस्व अभिलेख में रमिता देवी पुत्री संसार चन्द दर्ज हुआ है जोकि गलत है। इसे दुरुस्त करके रमिता भूषण पुत्री संसार सिंह नेपाली दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को इस इशतहार राजपत्र द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन दिनांक 10-08-2016 को अदालत हजा में हाजिर होकर अपना एतराज प्रस्तुत कर सकता है। उपरोक्त तिथि के बाद कोई उजर व एतराज जेरे समायत न होगा तथा प्रार्थना पत्र पर नियमानुसार उचित आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 05-07-2016 को हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

अश्वनी कुमार शर्मा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
मुलथान, जिला कांगड़ा।

ब अदालत श्री विनोद कुमार, कार्यकारी दण्डाधिकारी थुरल, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0

मुकद्दमा नं0 : 2016

तारीख पेशी : 05-08-2016

श्री अमरनाथ पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्डी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—जन्म व मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र।

इशतहार अखबारी व मुस्त्री मुनादी :

प्रार्थी श्री अमरनाथ पुत्र श्री भगत राम, निवासी गांव व डाकघर मूण्डी, उप-तहसील थुरल, ग्राम पंचायत मूण्डी, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी पेश किया व आवेदन किया कि उसके पुत्र अंकुश शर्मा का जन्म दिनांक 10-03-1992 को गांव मूण्डी, ग्राम पंचायत मूण्डी में हुआ है। परन्तु अज्ञानतावश उसके जन्म का पंजीकरण स्थानीय ग्राम पंचायत अभिलेख में न करवाया गया है। अतः प्रार्थी इस न्यायालय के माध्यम से अपने पुत्र के जन्म पंजीकरण करने का आदेश ग्राम पंचायत मूण्डी को जारी करवाना चाहता है।

अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए, इस इशतहार मुस्त्री मुनादी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था को उपरोक्त अंकुश शर्मा की जन्म तिथि 10-03-1992 के पंजीकरण बारे कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी 05-08-2016 को हाजिर अदालत होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकता है बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज नहीं सुना जावेगा व उपरोक्त अंकुश शर्मा की जन्म तिथि 10-03-1992 के पंजीकरण करने का आदेश उप स्थानीय पंजीकार जन्म व मृत्यु ग्राम पंचायत मूण्डी को पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 30-06-2016 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
थुरल, जिला कांगड़ा।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 12/T/2016/Misc.

तारीख पेशी : 03-08-2016

श्री रतन चन्द पुत्र नीरु राम, निवासी गांव देहरू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा.—जेरे धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम : आम जनता

प्रार्थी श्री रतन चन्द पुत्र नीरु राम, निवासी गांव देहरू, डाकघर व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसके लड़के सुरेश कुमार का जन्म दिनांक 16-09-1973 को हुआ है, का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत डोला खरयाना के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत डोला खरयाना के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-08-2016 को असागतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समागत न होगा तथा रतन चन्द पुत्र नीरु राम, निवासी गांव देहरू, डाकघर खुण्डियां के लड़के सुरेश कुमार की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 16-09-1973, जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत डोला खरयाना के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—

तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

केस नं0 : 13/T/2016/Misc.

तारीख पेशी : 03-08-2016

श्री झौंखरु राम पुत्र रोडू राम, निवासी गांव हरदीप पुर, डाकघर टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकदमा.—जेरे धारा 13(3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म तिथि पंजीकरण।

नोटिस बनाम : आम जनता

प्रार्थी श्री झौंखरु राम पुत्र रोडू राम, निवासी गांव हरदीप पुर, डाकघर टीहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0) ने स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया कि उसकी लड़की श्रीमती कुशला देवी का जन्म दिनांक 24-07-1977 को हुआ है, का पंजीकरण कानून की जानकारी न होने के कारण ग्राम पंचायत टीहरी के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। अतः जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत टीहरी के अभिलेख में दर्ज किया जाये।

अतः सर्वसाधारण को सुनवाई हेतु बजरिया इशतहार व मुस्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में किसी प्रकार का उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-08-2016 को असालतन व वकालतन पेश होकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। उसके उपरान्त कोई भी उजर/एतराज जेरे समायत न होगा तथा श्री झौंखरु राम पुत्र रोडू राम, निवासी गांव हरदीप पुर, डाकघर टीहरी की लड़की श्रीमती कुशला देवी की जन्म तिथि का पंजीकरण दिनांक 24-07-1977, जेरे धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम पंचायत टीहरी के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 28-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवम् कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री किशोर चन्द

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री किशोर चन्द पुत्र श्री सरदा राम, निवासी गमरू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी पुत्री सीमा की जन्म दिनांक 02-01-1992 है परन्तु एम0सी0 धर्मशाला में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे सीमा की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-8-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

किसम मुकद्दमा : तकसीम

तारीख पेशी : 02-08-2016

1. श्री सतिन्द्र सिंह, 2. जतिन्द्र सिंह, 3. नरेन्द्र सिंह पुत्रान बलवनत सिंह पुत्र जगत राम, निवासी महाल घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ... प्रार्थी।

बनाम

1. मदन लाल पुत्र सदानन्द, 2. सुरिन्द्र कुमार पुत्र सदानन्द, 3. वरिन्द्र कुमार पुत्र सदानन्द, 4. श्रीमती कमलेश कुमारी पुत्री सदानन्द, 5. श्रीमती स्वर्णा देवी पुत्री सदानन्द, 6. कुमारी नलिनी पुत्री सदानन्द, 7. श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 श्री सदानन्द, 8. श्रीमती विमला पत्नी स्व0 श्री सदानन्द, 9. सुखदेव पुत्र सन्त राम, 10. धर्मपाल पुत्र सन्त राम, 11. जीत कुमार पुत्र सन्त राम, 12. अशोक कुमार पुत्र सन्त राम, 13. रविन्द्र पुत्र राजा राम, 14. सुरेन्द्र पुत्र राजा राम, 15. प्रशोतम लाल पुत्र दुर्गादास, 16. चुनी लाल पुत्र दुर्गादास, 17. प्रताप चन्द पुत्र दुर्गादास, निवासीयान घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा, हि0 प्र0 ... प्रतिवादीगण।

नोटिस इश्तहार :

मुकद्दमा तकसीम जेरे धारा 123 हि0 प्र0 भू-राजस्व अधिनियम, 1954 बावत भूमि खाता नं0 377, खतौनी नं0 553, खसरा नं0 847, कित्ता 1 रकबा तादादी 0-06-30 है0/वर्ग मी0, वाक्या महाल घणा, मौजा घणा, हसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

उपरोक्त प्रतिवादीगणों को समन जारी किए गए परन्तु उनकी तामील साधारण तरीके से नहीं हो रही है। अदालत हजा को विश्वास हो गया है कि उक्त प्रतिवादीगणों को साधारण तरीके से तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार राजपत्र के माध्यम से प्रतिवादीगण उपरोक्त को सूचित किया जाता है कि अगर वे मुकद्दमा उपरोक्त में कोई उजर या एतराज पेश करना चाहे तो वे दिनांक 02-08-2016 को सुबह 10 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर पैरवी मुकद्दमा कर सकते हैं हाजिर न आने की सूरत में उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 02-06-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा।

ब अदालत तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा

श्री कुशम कुमार

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री कुशम कुमार पुत्र श्री सन्त राम, निवासी घणा, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसके पुत्र अक्षत की जन्म दिनांक 04-04-1989 है परन्तु ग्राम पंचायत घणा में जन्म पंजीकृत न है अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें इस नोटिस के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उपरोक्त बच्चे अक्षत की जन्म पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज हमारी अदालत में दिनांक 2-8-16 को असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना एतराज पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 4-8-16 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला।

In the Court Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

Shri Dinesh Kumar s/o Shri Kedar Singh, r/o Village Koti, P.O. Kathog, Tehsil Theog, District Shimla (H. P.)
.. Applicant.

Versus

The General Public

.. Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Dinesh Kumar s/o Shri Kedar Singh, r/o Village Koti, P.O. Kathog, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Aarti Chandel whose date of birth is 15-07-2005 in the record of Gram Panchayat Kathog.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 05-08-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 04-07-2016.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla.

In the Court Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

Shri Narender Verma s/o Shri Jagat Ram, r/o Village Deori-Khaneti, Tehsil Kotkhai,
District Shimla (H. P.) . . Applicant.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Narender Verma s/o Shri Jagat Ram, r/o Village Deori-Khaneti, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his son namely Rajat Verma, whose date of birth is 26-02-1998 in the record of Gram Panchayat Deori-Khaneti.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 05-08-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 04-07-2016.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

Shri Ramesh Chand s/o Shri Thaku Ram, r/o Village Chandel, P.O. Darkoti, Tehsil Kotkhai,
District Shimla (H. P.) . . Applicant.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Ramesh Chand s/o Shri Thaku Ram, r/o Village Chandel, P.O. Darkoti, Tehsil Kotkhai, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Annu whose date of birth is 09-04-1992 in the record of Gram Panchayat Darkoti.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 05-08-2016 failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 04-07-2016.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

Shri Ram Singh s/o Shri Kewal Ram, r/o Village Dharal, P.O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. . . Applicant.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Ram Singh s/o Shri Kewal Ram, r/o Village Dharal, P.O. Jais, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his daughter namely Anjna Kumari whose date of birth is 29-07-1977 in the record of Gram Panchayat Jais.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit his objections in writing in this court on or before 05-08-2016, failing which, no objection will be entertained after expiry of said date.

Given under my hand and seal of the court on this 04-07-2016.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla.

In the Court of Sub-Divisional Magistrate, Theog, District Shimla, H. P.

Shri Anil Kumar s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village & P.O. Dharech, Tehsil Theog, District Shimla, H. P. . . Applicant.

Versus

The General Public . . Respondent.

Application under Section 13 (3) of Birth and Death Registration Act, 1969.

Whereas, Shri Anil Kumar s/o Shri Bhagat Ram, r/o Village & P.O. Dharech, Tehsil Theog, District Shimla, Himachal Pradesh has moved an application before the undersigned for the registration of name of his name along with date of birth 06-08-1994 in the record of Gram Panchayat Dharech.

Therefore, by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection for these entries of the above mentioned name, may submit objections in writing in this court on or before 05-08-2016, failing which, no objection will be entertained after expiry of date.

Given under my hand and seal of the court on this 04-07-2016.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Theog, District Shimla.

ब अदालत श्री मोलक राज गौतम, नायब-तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप-तहसील ननखरी,
जिला शिमला, हि0 प्र0

श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम सरोग, डाकघर शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला
शिमला, हि0 प्र0 प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

प्रत्यार्थी।

उनवान मुकद्दमा : प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत ग्राम
पंचायत थैली-चकटी के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में नाम व जन्म तिथि पंजीकरण
करवाने बारे।

श्री भूपेन्द्र सिंह पुत्र श्री रती राम, निवासी ग्राम सरोग, डाकघर शोली, उप-तहसील ननखरी, जिला
शिमला, हि0 प्र0 ने प्रार्थना-पत्र पेश कर गुजारिश की है कि उसके बेटे नीतेश कुमार की जन्म तिथि उसके
ईल्म अनुसार दिनांक 04-06-2012 है क्योंकि उसका जन्म घर पर होने के कारण अज्ञानतावश निश्चित
अवधि में जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में दर्ज नहीं करा सका। अब आवेदक ग्राम पंचायत के जन्म व
मृत्यु पंजीकरण रजिस्टर में पंजीकरण करवाना चाहता है। आवेदक ने अपना ब्यान हल्फिया (स्वयं सत्यापित) व
(प्रपत्र संख्या-5), सचिव द्वारा जारी अप्राप्यता प्रमाण-पत्र (प्रपत्र संख्या-10), प्रस्तुत कर अनुरोध किया है कि
उसके पुत्र के जन्म तिथि को सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज किया जावे।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि
किसी को उपरोक्त जन्म के पंजीकरण का सम्बन्धित ग्राम पंचायत रिकार्ड में दर्ज करने बारा कोई एतराज हो
तो दिनांक 06-08-2016 को सुबह 10.00 बजे असालतन/वकालतन हाजिर होकर लिखित व मौखिक
एतराज पेश करे अन्यथा उजर/एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जाएगा कि उक्त जन्म के
पंजीकरण बारे किसी को कोई एतराज नहीं है तथा सम्बन्धित सचिव ग्राम पंचायत थैली-चकटी को जन्म
पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 04-07-2016 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत सहित जारी हुआ।

मोहर।

मोलक राज गौतम,
नायब-तहसीलदार/कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप-तहसील ननखरी, जिला शिमला, हि0 प्र0।